संख्या-300/2015/3637जेएल/22-3-15-200(2)/2015टीसी-।

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ अधीक्षक,
आदर्श कारागार,
लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 10 नवम्बर, 2015***

विषय- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बंदियों को स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-221/2015/2508जेएल/22-3-15-200(2)/2015, दिनांक 31-07-2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची में 57 बंदियों को 15 दिन के गृह अवकाश की स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश के साथ संलग्न सूची में सम्मिलित बंदियों में से निम्नलिखित 04 बंदियों को पूर्व स्वीकृत गृह अवकाश की अवधि में 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.स.	बंदी एवं उसके पिता का नाम	जनपद का नाम	बंदी संख्या
1	मंगल उर्फ जहीर पुत्र श्री मजीद	लखीमपुर खीरी	14987
2	शरीफ पुत्र श्री मजीद	लखीमपुर खीरी	14630
3	सगीर पुत्र श्री मजीद	लखीमपुर खीरी	14632
4	संतोष शुक्ला पुत्र स्व0 देवकृष्ण शुक्ला	उन्नाव	15469

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-300/2015/3637जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in